



# राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

फोन नं. 2708824, PBX No. 2711070 Ext No. - 2163 (for Professional)

Web site- www.uniraj. ac. in, Email. <examcontrolleruor@gmail.com>

क्रमांक- परीक्षा 6-अ/2025/2594

दिनांक: 7/03/2025

समस्त निदेशक/प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष,  
पी.जी. स्कूल्स/संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय/शैक्षणिक विभाग,  
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

**विषय:-** नियमित प्रवेशित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय अधिनियम, 144 तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु नियमित छात्र/छात्राओं द्वारा संबंधित पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से अध्ययनरत रहते हुए निर्धारित न्यूनतम 75 प्रतिशत (बी.एड. पाठ्यक्रमों की स्थिति में अध्यादेश 323 के अनुसार 80% for all course work & practicum, and 90% for school internship) उपस्थिति पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

अतः कृपया आपके केन्द्र/महाविद्यालय/विभाग में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को तदनुसार परामर्श देते हुए उनके द्वारा अनिवार्य न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, अनिवार्य न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित छात्र/छात्राएँ विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बैठने हेतु नियमानुसार पात्र नहीं होंगे। अतः सम्बन्धित छात्र/छात्रा को समय-समय पर न्यूनतम उपस्थिति के सम्बन्ध में मोबाईल, ई-मेल, पत्र व सूचना पट्ट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से सूचित करते रहे। साथ ही कृपया समस्त छात्र/छात्राओं का उपस्थिति रिकार्ड पूर्णतया संधारित किये जाने का श्रम करें ताकि विवाद की स्थिति में संबंधित उपस्थिति रिकार्ड्स का नियमान्तर्गत विश्लेषण करते हुए तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

*Alu*  
07.03.25  
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक- परीक्षा 6-अ/2025/

दिनांक:

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
2. समस्त उप कुलसचिव (नामांकन/गोपनीय/डिग्री/सैलर-। एवं ।।/विविध), रा.वि.वि., जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार जयपुर व दौसा जिले के समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रसारित करने का श्रम करें।
4. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त सहायक कुलसचिव/अनुभागाधिकारी (नामांकन/गोपनीय/डिग्री/सैलर-।, ।।/विविध), रा.वि.वि., जयपुर।
6. संबंधित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को सभी महाविद्यालयों की लॉगिन आई.डी. (Login ID) एवं मेल आई.डी. पर अपलोड करने का श्रम करें।

*Alu*  
सहायक कुलसचिव (परीक्षा)